बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या–01/स्था०क्षे०–316/2026–737 पटना, दिनांक 20 अपैल, 2026

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2160 दिनांक–27.10.2016 द्वारा अधिसूचित गन्ना उद्योग विभाग के अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2016 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक–650 दिनांक–07.04.2026 द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से निम्नांकित कार्यालय परिचारी को निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर–2) में उसके विहित वेतनमान सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :–

क्र० सं०	कर्मी का नाम/वर्त्तमान पदस्थापित कार्यालय	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक	वर्त्तमान कोटि
1	2	3	4
1	श्री बिक्रांत कुमार ठाकुर, कार्या०–सहायक निदेशक ईख विकास, पटना।	30	कार्यालय परिचारी
2	श्री कुणाल कुमार, कार्या०–सहायक निदेशक ईख विकास, पटना।	32	कार्यालय परिचारी

2. कार्यकारी व्यवस्था संबंधी यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त कार्यालय परिचारियों द्वारा वर्त्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक निम्नवर्गीय लिपिक में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–2) में उत्क्रमित किया जाता है।

4.उपर्युक्त कार्यालय परिचारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5.कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर प्रदान की जाती है।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/स्था०क्षे०–316/2026–737 पटना, दिनांक– 20 अपैल, 2026

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक ईख विकास, पटना/आई०टी०प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु)/सभी संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।